



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273395  
CG-DL-E-12062026-273395

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2912]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2912]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3012(अ).— केन्द्र सरकार, जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 19 जून, 2026 को उस तिथि के रूप में नियत करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रमांक संख्या 6 और 32 तथा उससे जुड़ी प्रविष्टियों, जो क्रमशः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) और प्रशासक-जनरल अधिनियम, 1963 (1963 का 45) से संबंधित हैं, के संबंध में है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 27(21)/2025-विधायी-III]

आर. एस. जयकृष्णन, अपर विधायी परामर्शी

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2026

**S.O. 3012(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 19<sup>th</sup> day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial numbers 6 and 32 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) and the Administrators-General Act, 1963 (45 of 1963), respectively, shall come into force.

[F. No. 27 (21)/2025-Leg. III]

R. S. JAYAKRISHNAN, Addl. Legislative Counsel